संख्या- 52 /2018/493/पॉच-6-2018-11(जी.)/17

प्रेषक

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-32 (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत "पं0दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2017-18/431, दिनांक 05.01.2018 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/ साचीज के पत्र सं0-एस.ई.टी.एस./पत्रा-240(2/2017-18)/88 दिनांक 07.02.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-32 (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत "पं0दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य कर्मचारियों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रशासकनिक व्यय हेतु धनराशि रू0-329.96 लाख (रूपया तीन करोड़ उन्तीस लाख छियानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-115/2017/2013/पॉच-6-17-19(जी.)/16, दिनांक 05.09.2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इस योजना की गाईड लाईन में दिये गये प्रयोजन के अनुसार किया जायेगा।
(3) वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2017-2018 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय -09 राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के क कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर-2(3) द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-52 /2017/493(1)/पाँच-6-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित कोषाधिकारी ।
7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।